Parliamentary Affairs Department
Notification

Jaipur, October 22, 1981

G.S.R. 70.- In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) and (5) of section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules with respect to the use and maintenance of State Cars placed at the disposal of such Officers of Rajasthan Legislative Assembly and for the payment of travelling allowance to them, namely :—

1. Short title.- These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Travelling Allowances and Use and Maintenance of State Car) Rules, 1981.

2. Applicability.- Rule 3 of these rules shall apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly and also to Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip who are hereinafter referred to as the said Officers and rule 4 of these rules shall apply to the Leader of the Opposition.

3. Facility of State Car and travelling allowances.- In the matter of use and maintenance of the State Car to be provided to the said Officers under clause (b) of sub-section (1) of section 6A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957) and grant of travelling and daily allowances to the said Officers under sub-section (5) of section 6A of the said Act, the provisions contained in the Rajasthan Ministers (Travelling Allowances and Use and Maintenance of Conveyance) Rules, 1974 for the time being in force shall *mutatis mutandis* apply.

4. Travelling allowance to the Leader of the Opposition.- The Leader of the Opposition shall be entitled to travelling and daily allowance as admissible to a Minister under the Rajasthan Ministers (Travelling Allowance and Use and Maintenance of Conveyance) Rules, 1974 for the time being in force.

5. Repeal.- The Rajasthan Legislative Assembly Officers Official Journeys Rules, 1957 and the Rajasthan Government Chief Whip (Facilities and Amenities) Rules, 1969 are hereby repealed.

[No. F. 7(7) Sansad/81]
by Order of the Governor,
Gopal Krishna Sharma,
Secretary of the Government.

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 22, 1981

जी. एस. आर. 70.-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (2) तथा (5) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार विधान सभा के अधिकारियों के उपयोग के लिए रखी गई राजकीय कार के उपयोग और रख-रखाव के सम्बन्ध में तथा उन्हें यात्रा भत्ते के संदाय के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम.- इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा अधिकारी (यात्रा भत्ता तथा राजकीय कार का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1981 है।

2. लागू होना.- इन नियमों का नियम 3 राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होगा और इन नियमों का नियम 4 विरोधी दल के नेता पर लागू होगा।

3. राजकीय कार और यात्रा भत्ते की सुविधा.- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिकारियों के उपयोग के लिए रखी गयी राजकीय कार के उपयोग और रख-रखाव और उक्त अधिनियम की धारा 6-क की उप-धारा (5) के अधीन उक्त अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते की मंजूरी के मामले में तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता तथा वाहन का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1974 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

4. विरोधी दल के नेता को यात्रा भत्ता.- विरोधी दल का नेता तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (यात्रा भत्ता तथा वाहन का उपयोग और रख-रखाव) नियम, 1974 के अधीन किसी मंत्री को यथा अनुज्ञेय यात्रा तथा दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

5. निरसन.- राजस्थान विधान सभा अधिकारी वर्ग सरकारी यात्रा नियम, 1957 और राजस्थान सरकारी मुख्य सचेतक (सुविधाएं और सुख-सुविधाएं) नियम, 1969 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[संख्या एफ. 7(7) संसद/81]

राज्यपाल के आदेश से,

गोपाल कृष्ण शर्मा,

शासन सचिव।